कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल (म.प्र.)

Phone: 0755-2540590, 4050000-07 Email: deangmc_bpl@yahoo.co.in
Fax: 0755-2541376 Website -www.gmcbhopal.net

क्रमांक ..../एम.सी./अराज–5/2024 भोपाल, दिनांक................../03/2024

आदेश

कार्यालयीन पत्र क्रमांक 4712–16/एम.सी./अराज–5/2023 भोपाल दिनांक 30.01.2023 के द्वारा प्रेषित भर्ती प्रस्ताव के आधार पर कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा परीक्षा उपरांत जारी मेरिट अभ्यर्थियों की सूची के आधार पर 02/72/2022/08/प–2/1051/2024 भोपाल, दिनांक 27.02.2024 प्राप्ति दिनांक 28.02.2024 प्राप्त होने पर कार्यालयीन सूचना 8705/एम.सी./अराज–5/2024 दिनांक 01.03.2024 एवं कार्यालयीन आदेश क्रमांक 8749–54/एम.सी./अराज–5/2024 भोपाल, दिनांक 01.03.2024 के द्वारा स्क्रूटनी एवं दस्तावेज सत्यापन समिति गठित कर दिनांक 04.03.2024 को मेरिट एवं मेरिट प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन एवं स्क्रूटनी के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को गांधी चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबंद्व चिकित्सालया हेतु रिक्त सहायक ग्रेड–3, अनुसूचित जन जाति संवर्ग के रिक्त पदों पर निम्नलिखित शर्तो के आधार पर सातवें वेतनमान का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष मे 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष मे 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप मे देय होगी एवं समय–समय पर शासन द्वारा स्वीकृत भत्तों पर कार्य ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक 03 वर्ष की परीवीक्षा पर अस्थायी नियुक्ति प्रदान की जाती है। नियुक्ति की सेवा शर्तो का विवरण निम्नानुसार है।

क्र	चयनित अभ्यार्थी का नाम/पिता का नाम	चयनित पदनाम	पता	वेतनमान
1	श्री संदीप खरते पुत्र श्री सजन सिंह खरते	सहायक ग्रेड–3 (अनुसूचित जन जाति)	म.नं. –233, गांधी मार्ग अस्पताल चौक अंजड़ जिला बड़वानी (म0प्र0)–451556	19500–62000 (मेट्रिक्स लेवल–4 इण्डेक्स 1)
2	ममता डावर पुत्री श्री मुन्ना लाल डावर	सहायक ग्रेड–3 (अनुसूचित जन जाति)	म.न.–ग्राम रणगांव भाटियापुरा तहसील मनावर, जिला धार (म0प्र0)–454449	19500–62000 (मेट्रिक्स लेवल–4 इण्डेक्स 1)
3	श्री अमित निंगवाल पुत्र श्री मांगीलाल	सहायक ग्रेड–3 (अनुसूचित जन जाति)	म.नं. –ग्राम खजूरी, तहसील–राजपुर, जिला बड़वानी (म0प्र0)–451449	19500–62000 (मेट्रिक्स लेवल–4 इण्डेक्स 1)

नियुक्ति की शर्तेः–

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है, यह मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय आदर्श सेवा नियम 2018 (गैर शैक्षणिक संवर्ग) के तहत इस स्वशासी संस्था के सेवा शर्तो के अधीन होगी। संस्था अपनी सेवा शर्तो मे आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकेगी।
2. चयनित कर्मचारी को 100/– रूपये के स्टाम्प में उपस्थित प्रतिवेदन के साथ इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी एवं दस्तावेज सही है यदि गलत पाई जाती है तो पूर्ण जवाबदारी स्वयं की होगी।
3. चयनित कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण के साथ 500/– रूपये के स्टाम्प पर बॉण्ड प्रस्तुत करना होगा, की मैं शासन नियमों के तहत तीन वर्षीय सेवा पूंर्ण होने का बॉण्ड कर रहा/रही हूँ।

निरंतर–––2

4. तीन माह पश्चात चयनित अभ्यार्थी की कार्य मूल्यांकन एवं कार्य संतोषजनक होने के पश्चात् मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक सी.3–13/2019/3/एक भोपाल दिनॉक 12–12–2019 के बिन्दु (v) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 के नियम 8 (1) के तहत सीधी भर्ती के पद पर प्रथमतः तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है।
5. उक्त नियुक्ति प्रथम 03 माह के लिए निश्चित पारिश्रमिक रूपये 10,000/– प्रतिमाह पर की जाती है।
6. चयनित प्रत्याशी को चयन सूची अनुसार प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर यह नियुक्ति इस सशर्त पर प्रदान की जाती हैं, कि यदि कोई त्रुटि/कमी पाई गई तो यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही समाप्त समझा जावेगा।
7. चयनित प्रत्याशी को नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 07 दिवस के अंदर (शासकीय कार्य दिवस में) कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव समाप्त हो जायेगा। कार्यभार ग्रहण हेतु किसी प्रकार के मार्ग व्यय/यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
8. चयनित प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण करने के 15 दिवस के अंदर मेडिकल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होकर स्वयं के व्यय पर स्वास्थ्य का परीक्षण कराना होगा एवं परीक्षण संबंधी उपयुक्तता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने एवं उपयुक्त पाये जाने पर ही कार्यभार ग्रहण मान्य किया जावेगा।
9. चिकित्सा महाविद्यालय के संविलियन एवं संवर्धन नियमों के अंतर्गत स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति अन्य चिकित्सा महाविद्यालयों में स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति की पात्रता शासन नियमों के तहत होगी।
10. चयनित प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण करते समय उपस्थित प्रतिवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण–पत्रों की मूल प्रतियां एवं एक–एक छायाप्रतियां (स्वयं सत्यापित) परीक्षण हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व मध्यप्रदेश शासन,सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. एफ–7–2 /96 /आप्र/1 दि 1/08/96 के निर्देशानुसार मध्यप्रदेश का स्थाई डिजिटल जाति प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप में ही दिया जाना अनिवार्य है एवं मध्यप्रदेश का स्थाई डिजिटल जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण करवाया जायेगा।
12. चयनित प्रत्याशी को आदर्श सेवा नियम 2018 के तहत अवकाश लेने की पात्रता होगी।
13. चयनित कर्मचारी द्वारा यदि परीवीक्षा अवधि में त्याग पत्र दिया जाता है तो नियुक्ति शर्त अनुसार बॉण्ड की राशि जमा करना अनिवार्य होगा तथा परीवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण किये जाने के उपरांत यदि चयनित उम्मीदवार त्याग पत्र देता है तो एक माह का वेतन जमा कर अथवा एक माह पूर्व नोटिस देकर देना अनिवार्य होगा।
14. चयनित प्रत्याशी म0प्र0सिविल सेवा आचरण नियमों के अधीन शासित होगे। संस्था के किसी भी कर्मचारी को राजनीतिक अथवा किसी भी प्रतिबंधित गतिविधियों एवं हड़ताल आदि मे भाग लेने की अनुमति नही होगी एवं संबंधित का कार्य एवं व्यवहार उचित न पाये जाने पर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
15. पुलिस सत्यापन में अयोग्य पाये जाने पर बिना किसी सूचना के सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
16. नियुक्ति व्यक्ति को उपस्थित के समय–पूर्व नियोक्ता द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि लागू हो तो।
17. शासन द्वारा समय पर दिये गये निर्देशानुसार सेवा शर्तें परिवर्तित की जा सकती है। यह परिवर्तन वेतन संबंधी शर्तों में भी हो सकता है।
18. भविष्य में यदि कभी भी अर्हता संबंधी कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती है तो सेवा समाप्त की जा सकेंगी।
19. इस नियुक्ति में आरक्षण के प्रावधानों का समायोजन आरक्षण रोस्टर अनुमोदन के उपरांत रोस्टर अनुसार किया जावेगा।
20. चयनित उम्मीदवार बिना पूर्व स्वीकृति के अवकाश पर नहीं जा सकेगा।
21. चयनित उम्मीदवार इस संस्था के अन्तर्गत कार्य करते हुऐ किसी अन्य संस्था मे रोजगार के लिये सीधे आवेदन नही दे सकते है।
22. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) तथा मध्यप्रदेश शासन के अन्य नियम लागू होगे।

निरंतर–––3

23. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–9/3/2005/नियम/चार दिनॉक 2–4–2005 के अनुसार आप पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 लागू नही होगे। मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क एफ–5/1/2005/नियम/चार दिनॉक 2–4–2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सामान्य भविष्य निधि नियम भी लागू नही होगे।
24. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 के नियम 6 के उप नियम (6) जिसमें प्रावधान अनुसार 26 जनवरी 2001 के बाद दो बच्चों से अधिक होने पर यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही समाप्त माना जावेगा।
25. यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के अन्तिम आदेश के अधीन होगी।

/–

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गॉधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल

पृ. क्रमांक 9678-88 /एम.सी./अराज–5/2024 भोपाल, दिनांक 07/03/2024

प्रतिलिपिः–

1. संभागायुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल एवं अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति, गॉधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल।
2. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल।
3. उप पुलिस महानिरीक्षक, भोपाल संभाग, भोपाल।
4. मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, जयप्रकाश चिकित्सालय,भोपाल।
5. जिला कोषालय अधिकारी, जिला भोपाल।
6. आहरण एवं संवितरण अधिकारी,गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि संबंधित कर्मचारी का वेतन नियमानुसार रिक्त पद से आहरित किया जावें।
7. प्रभारी अधिकारी, स्वशासी/गोपनीय शाखा, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल।
8. **संबंधित कर्मचारी नाम**.................................पदनाम......................पता...
....की ओर पालनार्थ।
9. आदेश नस्ति/व्यक्तिगत नस्ति।

(signature)

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गॉधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल